



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

कालोनी प्रकोष्ठ, (कोलार)

प.क्रमांक /150 / का.प्रको. / को.क्षे. / 2016
प्रति,

भोपाल दिनांक 18/3/2016

✓ मेसर्स अग्रवाल कन्सल्टिंग्स,
सागर प्लाजा, 250, जोन-2,
एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)


विषय :- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किये जाने बावत्।


मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1993 (क्र.1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाये गये म.प्र. ग्राम पंचायत नियम 1999 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्र 71/2010 दिनांक 13.12.2010 को जारी किया गया था। जो कि नगर पालिका, कोलार क्षेत्र तक सीमित था। जिसकी समय अवधि दि. 30.11.2015 को समाप्त हो गई है।

उक्त क्षेत्र का नगर निगम भोपाल में विलय हो चुका है। अतः म.प्र. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अंतर्गत उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण आपके द्वारा प्रस्तुत भारतीय स्टेट बैंक, एम.पी. नगर शाखा, भोपाल की बैंक गारंटी क्र. 2015/434 की अवधि दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये किया जाता है। यह प्रमाण पत्र भोपाल नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र के लिये मान्य है।

नोट :-

1. यह पंजीयन नगर पालिक निगम, भोपाल के क्षेत्र तक के लिये है।
2. प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाइजर को कालोनी स्थापना के पूर्व देनी होगी।
3. प्रत्येक कालोनी के लिये विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
4. रजिस्ट्रीकरण की अवधि, बैंक गारंटी की अवधि दिनांक 04.02.2021 तक मान्य रहेगी।


प्रभारी कालोनी प्रकोष्ठ
जोन क्र.18,19
नगर पालिक निगम, भोपाल


अपर आयुक्त
सक्षम प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम भोपाल

